Varanasi Cantt HO 221002
RL RU446073739IN, IVR No1: 1800
22-08-2025 13:25:29, Counter N
To: S RAJALINGAM IAS
C V D , VARANASI, 221002
From: DR V B SINGH
NI C , GHAZIPUR, 232
Base Amt: 67.00, CGST:6.00, SGST:6
Coll. Amt: 79.00, Wt:200(Actual)
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

From: Vipin Bahadur Singh, **PhD (Physics), 1987, Banaras Hindu University**; Retired Head of PG Physics Department, U.P.(Autonomous)College,Varanasi; NIC, Kasimabad, Ghazipur.

To, Shri S. Rajalingam Ji (I.A.S.) **Commissioner Varanasi** Division

22/8/2025

Sir,

National Inter College Kasimabad Ghazipur was established in 1947 with the assistance of freedom fighters. The Education Department of Uttar Pradesh initially recognized it as National Higher Secondary School Kasimabad in 1949. **After the recognition of the Intermediate Science program in 1966, the Secondary Education Department of Uttar Pradesh officially renamed the institution to National Inter College, Kasimabad, Ghazipur**. Despite the above, **as well as DDC Ghazipur order 1133/26/04/1969,** (Encl. 1,1a) **the new name has not been reflected in the college's land records**, which still contain the old/incorrect name(/class)to this day.

Along with earlier efforts in 1986-1994, since 2002, we have filed complaints with supporting documents and have sought assistance from the Muhammadabad Tehsil and district administration. **We have been actively pursuing this issue almost continuously since 2017 in Kasimabad Tehsil, submitting dozens of applications to correct the name and class in the land records, address other revenue errors, and resolve issues related to encroachments and erroneous transfer (/patta) orders** (Encl. 2-14)**. To date, the correct name and class have not been corrected on land records regarding Sections 38 (1) & (2) of the UP State Code Rules 2016.** Additionally, there have been new encroachments and fraudulent transfers regarding the college land, prompting us to write continuously to various authorities, including the District Magistrate GHazipur, Commissioner of Varanasi Division, UP Revenue Council & Department, the Chief Minister's Office of U P, and the Prime Minister's Office since September 2022. ***Kasimabad Tehsil has consistently mishandled these issues with significant irregularities, indirectly facilitating false transfers and further encroachments.*** We continue to advocate for the correction of the following errors in the land records:

1a. Kindly order to **Correct the (old)wrong name (National) 'Higher Secondary School Kasimabad' on the land record and enter the correct name, 'National Inter College Kasimabad'.**

1b. Wrong 'class-3' is recorded on the land record. The school was established in 1947. Teaching started in 1948, and it was recognized in 1949. All the land was obtained through Zamindari Settlement, and this reputed school has been functioning on this land for 77-78 years. Therefore, 'class 1' should be mentioned instead of class 3.

VBS

PTO ..

लिए चकबंदी अधिकारी के यहाँ अंतिम बहस के बाद भी वाद लंबित है। जबकि आराजी नंबर 335 विद्यालय की जमीन है जानते हुए भी उस समय की ग्राम सभा द्वारा पट्टा कर दिया गया है।

6. कासिमाबाद थाने के सामने लगभग 17 विशवा जमीन (कासिमाबाद खाता संख्या-००२२९, आराजी / खसरा नंबर ५२ व २२५) पर नेशनल इण्टर कॉलेज का ही राष्ट्रीय शिशु मंदिर है जिस पर विद्यालय द्वारा 'रज्जु भैया' कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के भवन का निर्माण हो रहा है।

7. महोदय, साथ ही आरजी संख्या ३३१, ४३, २० व २१, जिस पर आज भी विद्यालय का १९६४ के पूर्व का नाम नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कासिमाबाद (वर्ग 3) अंकित है, संभवतः जमींदारी सेटलमेंट से 1947-48 में विद्यालय को जमीन दी गयी थी, तब वर्ग 3 की श्रेणी क्यों अंकित है ? 75 वर्षों के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की जमीन पर वर्ग 3, अंकित होने से, आराजी नंबर 43 व २०, मौजा तफुरपुर, ग्राम सभा मेख कासिमाबाद पर अवैध तरीके से कब्ज़ा व निर्माण जारी।

8. आराजी नंबर 330 पर पुनः 2022 में, कॉलेज के खेल के मैदान के हाईवे से सटे भाग पर COVID-19 को दौरान, चकबंदी के एक कर्मचारी के सहयोग से हुए (संभवतः एक आना को फ़र्ज़ी सात आना की मालियत बनाकर) अवैध नाम ट्रांसफर में, चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहे वाद में लगभग २० बार तारीख देने के बाद कॉलेज के वकील के बहस द्वारा फ्रॉड साबित करने के बावजूद (वकील महोदय के अनुसार) अबतक फैसला नहीं मिला है।ग़ाज़ीपुर चकबंदी में सुनने में आ रहे भ्रस्टाचार (जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नहीं है, ईमानदार जाँच से साबित हो सकता है) न्याय न मिलने की आशंका है (फ्रॉड करने वाले लोग ग़ाज़ीपुर रिकॉर्ड रूम में जाकर हेरा फेरी भी किये है/करने के प्रयास में हैं) ।

तहसील व चकबंदी ऑफिस में बिना पैसा दिए कुछ भी नहीं हो रहा है (इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ईमानदार जाँच से ही मिलेगा)। कॉलेज की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने की शिकायत करने पर सांसद निधि से बन रहे बाउंड्री को भी रोक दिया गया है। तहसील द्वारा हुए सीमांकन का पत्थर फेंक दिया गया है। क्या यही राम राज्य है या जंगल राज्य ? इस विषय पर ईमानदार जाँच व कार्यवाही करने की किसकी जिम्मेदारी है ?

महोदय पब्लिक की गुणात्मक शिक्षण संस्था को शीघ्र न्याय देने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। ९ अगस्त से, उपरोक्त भ्रस्टाचार के विरोध में व ग्रामीण/पिछड़े वर्ग के छात्रों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने हेतु, शीघ्र न्याय के लिए , कासिमाबाद से काशी तक मेरी पदयात्रा प्रस्तावित है।

सम्मान के साथ,

VBSA

डॉ विपिन बहादुर सिंह प्रबंधक, नेशनल इण्टर कॉलेज कासिमाबाद, ग़ाज़ीपुर।

प्रतिलिपि

1. माननीय प्रधान मंत्री महोदय, दिल्ली ।
2. माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी महोदया ग़ाज़ीपुर ।
4. उप जिलाधिकारी कासिमाबाद ग़ाज़ीपुर ।
5. माननीय उच्च न्यालय इलाहाबाद/प्रयागराज & माननीय उच्चतम न्यायलय दिल्ली ।

प्रतिलिपि : मा. प्रधानमंत्री भारत सरकार

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
Date 11/07/23

द्वारा: डॉ विपिन बहादुर सिंह प्रबंधक, नेशनल इण्टर कॉलेज कासिमाबाद, गाज़ीपुर। रिकॉर्डर, भौतिक विज्ञानं, भारतीय विज्ञानं कांग्रेस २०२३-24। पूर्व भौतिकी-विभागाध्यक्ष, उदय प्र महाविद्यालय वाराणसी

सेवा में, आयुक्त वाराणसी मंडल वाराणसी व राजश्व परिषद् लखनऊ, । 21/06/2023

विषय: कासिमाबाद, 1942-स्वतंत्रता आंदोलन/ सेनानियों के सहयोग से आज़ादी वर्ष (१९४७) में स्थापित, ग़ाज़ीपुर जिले में नक़ल विहीन परीक्षा व ग्रामीण/पिछड़े वर्ग के छात्रों में बेहतर शिक्षा के लिए मशहूर, नेशनल इण्टर कॉलेज कासिमाबाद की दो बीघा से अधिक जमीनों /खेल के मैदान पर, राजश्व विभाग की लापरवाही व साजिश के कारण, कब्ज़ा जारी, जाँच की आदेश के वावजूद प्रशासन मौन।

महोदय,

कासिमाबाद (गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश) स्वतंत्रता आंदोलन-१९४२ (कासिमाबाद थाना परिसर में आग लगाकर हजारों क्रांतिकारियों ने थाने के सभी भाग को अपने कब्जे में ले लिया और तिरंगा लहरा दिया था) से नाराज होकर, अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र के लोगों पर लगाए गए सार्वजनिक दंड द्वारा प्राप्त धन, आज़ादी (१९४७) के बाद क्षेत्र के लोगों को लौटा दिया गया था। उस धन के साथ क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों व स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग से आज़ादी वर्ष (१९४७) में नेशनल इण्टर कॉलेज कासिमाबाद (१९६४ के पूर्व का नाम नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल) का स्थापना किया गया था। प्राचीन व नक़ल विहीन परीक्षा के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश सरकार का सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय नेशनल इण्टर कॉलेज कासिमाबाद (१९६४ के पूर्व का नाम नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल), कासिमाबाद तहसील व थाने के सामने लगभग १2 बीघा, स्टेट हाईवे की जमीन पर स्थित है। इसके सभी जमीनों का विवरण निम्नवत है -

1. आराजी नंबर 331, खाता संख्या 000202, (जिस पर विद्यालय के भवन व खेल का मैदान है), मौजा/ग्राम सभा मेख कासिमाबाद गाज़ीपुर; क्षेत्र: लगभग 6 बीघा 11 विशवा; खतौनी पर अंकित नाम नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कासिमाबाद; खतौनी पर वर्ग 3 अंकित।
2. आराजी नंबर 43, खाता संख्या 00087 , मौजा तफुरपुर, ग्राम सभा मेख कासिमाबाद गाज़ीपुर; क्षेत्र:लगभग 2 बीघा 4 विशवा; खतौनी पर अंकित नाम नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कासिमाबाद; खतौनी पर वर्ग 3 अंकित ।
3. आराजी नंबर 20, खाता संख्या 00087, मौजा तफुरपुर, ग्राम सभा मेख कासिमाबाद गाज़ीपुर; क्षेत्र: लगभग 24 विशवा; खतौनी पर अंकित नाम नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कासिमाबाद; खतौनी पर वर्ग 3 अंकित ।
4. आराजी नंबर 21, खाता संख्या 00087 (जिस पर विद्यालय के शेष भवन स्थित हैं),मौजा तफुरपुर, ग्राम सभा मेख कासिमाबाद गाज़ीपुर; क्षेत्र: लगभग 12 विशवा; खतौनी पर अंकित नाम नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कासिमाबाद; खतौनी पर वर्ग 3 अंकित ।
5. आराजी नंबर 330,खाता संख्या 00127 मौजा/ग्राम सभा मेख कासिमाबाद गाज़ीपुर; क्षेत्र: लगभग 1 बीघा 2 विशवा 5 धूर. व आराजी नंबर 335,खाता संख्या 00105, मौजा/ग्राम सभा मेख कासिमाबाद गाज़ीपुर; क्षेत्र: लगभग 5 विशवा; DDC के 26-04-1968 के आदेशानुसार नेशनल इण्टर कॉलेज कासिमाबाद का नाम खतौनी पर दर्ज करने के वावजूद, तत्कालीन चकबंदी द्वारा साजिश के तहत (तकनिकी रूप में लापरवाही से), नवीन परती, अंकित होने के कारण ; दबंगो के दो समूह द्वारा, आराजी नंबर 330 को पहले १९९० व पुनः 2022 में अवैध तरीके से खतौनी पर अपना नाम ट्रांसफर करा कर पहले भाग पर अवैध कब्ज़ा व दूसरे के

VBS

..According to the rule contained in Section 38(1) & (2) (given on page 19, serial number 35) of Uttar Pradesh State Code Rules-2016, all these errors could have been resolved by the Kasimabad Tehsildar and Sub-District Magistrate/District Magistrate. This was not done deliberately due to corruption/high irregularity.

2b. As per DDC Ghazipur order case no. 1133 dated 26/04/1969 under Rule 52 of the land reserved for public purposes, despite the implementation of the instruction (AMALDARAMAD)to mark National Inter College Kasimabad Ghazipur on Arazi number 330 and 335, yet the same has not been marked in the land records till date, and hence the land adjoining the road and in front of the college, 330(1), 330(2) and a part of the playground 330 (2) were transferred to the land mafias' names illegally (/by fraud). Despite continuous applications since 2017 to mark DDC order-1969 in the tehsil, one Tehsildar marked the illegal transfer of 330 (2) on the land records, probably in July 2022, and another Tehsildar deliberately got the boundary wall of the earlier illegal transfer 330 (1) constructed.

The illegal transfer of 330(2) has been cancelled by the Consolidation Officer (C.O.) on 04.11.2023, S.O.C., 04.07.2024 & DDC on 20.12.2024 in their new orders*. Whereas in the recent order of DDC and CO, it has been asked to consider the DDC Ghazipur order case number- 1133 dated 26/04/1969.

The government aided educational institution, was the centre for the RO/ARO officer examination and is also the centre for the PCS (Pre) examination, making it insecure. Other details have been given in the attached four previous applications. Sir, please issue an order/take action as per the rules soon, if necessary, after your official visit to this NIC, Kasimabad.

VIpin Bahadur

With Regards

Singh

*Currently, the above orders for 330(2) are on hold due to a stay issued by the Allahabad High Court. This stay is a result of fraudulent claims made by their advocate and the inadequate support from both the state and our legal representatives. Despite this, the property within the college campus continues to be utilized by students, as there is an ongoing co-status order from the High Court.

राजस्व मामलों में तारीख पर तारीख बर्दाश्त नहीं
-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Tweet on 13/10/2023 by CM Office UP

प्रेषक: विपिन बहादुर सिंह PhD (PHYSICS)-1987-BHU VARANASI कासिमाबाद ग़ाज़ीपुर

सेवा में, माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी,

22/07/2025

अपनी स्थापना के 77 वर्ष पूरा कर चुके UP Govt Aided नेशनल इण्टर कॉलेज कासिमाबाद का भूमि अभिलेख पर नाम (व वर्ग) सही करने [जिसमे, कासिमाबाद थाने के सामने रज्जु भैया -RSS के चौथे सर संघ चालक (राष्ट्रीय शिशु मंदिर और Computer Learning Centre) परिसर भी शामिल है], उप संचालक चकबंदी-DDC ग़ाज़ीपुर के 26-4-1969 के आदेश का अमलदरामद होने के बाद भी भूमि अभिलेख पर अंकित नहीं किया गया था-उसको अंकित करने, फ़र्ज़ी ट्रांसफर वाले कब्जे से कॉलेज की जमीन को बचाने, कासिमाबाद तहसील के एक ईमानदार/जिम्मेदार पूर्व उप जिला अधिकारी के पत्थर गढ़ी के आदेश का पक्का अनुपालन आदि का मेरा दो साल से चल रहा प्रयास, **कासिमाबाद तहसील के अधिकारी व जिलाधिकारी (कार्यालय) द्वारा (27-12-2024 को), PMO की मेरी शिकायत के फ़र्ज़ी निस्तारण से** पुनः धूमिल हो गया (See details in Encl 1 & 2)। **कासिमाबाद तहसील का एक लेखपाल हमारे कॉलेज में जाकर कह रहा था की प्रबंधक ने इतना (सच्ची बात) लिख दिया है की हमलोगो को तहसील के अधिकारियो को (उनके काले कारनामे से) बचाना जरुरी है** (प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जाँच से प्रमाण मिल सकता है)। लेकिन हमें नेशनल इण्टर कॉलेज कासिमाबाद ग़ाज़ीपुर की सभी जमीन को सुरक्षित करना है, जरुरी हुआ तो अपनी जान देकर भी। **12 बीघा में फैले इस प्रतिष्ठित कॉलेज को एक भू माफिया कहता है की नेशनल इण्टर कॉलेज कासिमाबाद ग़ाज़ीपुर की जमीन ही नहीं है [&कासिमाबाद तहसील उसकी फर्जी बात को सही करने वाला निस्तारण कर रहा है]** जबकि उत्तर प्रदेश सरकार सात दशक (लगभग 70 साल से) से यहाँ सैलरी दे रही है। कभी भी सदस्य न रहने के बावजूद, फ़र्ज़ी अध्यक्ष बनकर, मेरे फ़र्ज़ी हस्ताक्षर के साथ सम्बंधित कार्यालय व इलाहाबाद उच्च न्यायलय में पत्रावली दाखिल कर, संस्था का जमींन हड़पने वालों की मदद करने की साजिश करने वाले के विरुद्ध प्रमाण के साथ की गयी शिकायत (See Details Encl no 3) के **कई महीने बाद के बाद भी कासिमाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होने से** मुख्यमंत्री जी के ईमानदार छबि पर दाग लगाने का कार्य हो रहा है। 'सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते ,विघ्नो को गले लगाते हैं कांटो में राह बनाते हैं'। - रामधारी सिंह दिनकर।

महोदय, लेकिन मै विचलित हो गया हूँ इसलिए की ~35 साल स्नातक व परास्नातक में निष्ठां के साथ अध्यापन/शोध से उदय प्रताप महाविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय पहचान बढ़ाने के बाद भी नियमानुसार पदोन्नति तो नहीं मिला, एक अध्यापक का फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट प्रमाणित न करने के जुर्म में (अप्रैल-जून 2022 में, अवकाश प्राप्त करते समय) अपमानित होना पड़ा (See details in Encl No 4-5)। इसलिए उत्तर प्रदेश-व्यवस्था **के उग्र भ्रस्टाचार रूपी काटों में** राह बनाने की ताकत /उत्त्साह 66 वर्ष में अब नहीं है। जय श्री राम
77 वर्ष पुराने नक़ल विहीन परीक्षा हेतु प्रतिष्ठित कॉलेज की जमीन को सुरक्षित करने का आदेश देने की कृपा करें।

सम्मान के साथ

विपिन बहादुर सिंह

प्रतिलिपि : माननीय प्रधान मंत्री महोदय भारत सरकार नयी दिल्ली

आपके आदेश के विरुद्ध कासिमाबाद तहसील के अधिकारियों के मनमानी के विरुद्ध कार्यवाही व 77 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित Govt Aided कॉलेज की जमीन को सुरक्षित करने का आदेश देने की कृपा करें।

नियम (५२)

प्रदेशन आज्ञा

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित भूमि

गाँव .... परगना .... तहसील .... जिला ....

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र — ऐसे क्षेत्रों में जो जोत के अधीन हों: प्रयोजन	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	ऐसे क्षेत्रों में जो जोत के अधीन न हों: प्रयोजन	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	ग्राम समाज की अन्य भूमि का विवरण: गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण	विशेष विवरण
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	३४५/१	११९:				४०२	३१:		
	३४५/५	११:				४०३त	३:१२		
	३४५/७	३४:				४०४म	१९:		
	३४७/८	३१:				११	९।११९:१३		
	३२४/१	३१:७						पशु पालन स्थान	
	३२४/१२	११:१०				४०८ल	३४:७		
	३२४/१३	३४:१६				४०५ल	३१:		
	३२४/८	१९:				४०६म	३:१०		
	३२४/१४	३३:				४०७म	३१:१०		
	४०३/४	३२:				४	१२:७		
	४१३ल	३:२				४०७म	३४:८	मवेशी स्थान	
	४१४/१	३४:७							
	४१४/२	३:१३							

लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी

विश्वविद्यालय प्रेस, इलाहाबाद

नियम (५२)

प्रदेशन-आज्ञा

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित भूमि

गाँव ...[illegible]... परगना ...[illegible]... तहसील ...[illegible]... जिला ...[illegible]...

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र						ग्राम समाज की अन्य भूमि का विवरण			
ऐसे क्षेत्रों में जो जोत के अधीन हों			ऐसे क्षेत्रों में जो जोत के अधीन न हों						
प्रयोजन	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजन	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण	
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	५१४/३	१३:				५०७मि.	३१:४	[illegible]	
	५१५/४	३४:३				५११मि.	३१:		
	५१६मि.	३३:१				२	३२:४		
	५१७मि.	३२:१३							
	[illegible]	१२:८							
	५५	४२:३२:१४				५०७मि.	३१:८	[illegible]	
						५११मि.	१२:२		
						२	१३:१०		
देवस्थान	२२१/२	३१:							
	५५१/२	३१:						नसरी	
	५५१/१०	३१:				५५०७मि.	१६:११		
[illegible]	३	३३:				५०७मि.	[illegible]		
						५०८	[illegible]		

चकबन्दीकर्ता [illegible] सहायक चकबन्दी अधिकारी

चकबन्दी [illegible]

विश्व-विद्यालय प्रेस, इलाहाबाद

PHOTO STATE COPY

PHOTO STATE COPY
२०५२२
१९।८।०
५।९।०
५-९-०२

सत्यप्रतिलिपि
५-९-२००२

प्रेषक,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबंधक,

नेशनल इंटर कालेज, कासिमाबाद, गाजीपुर।

I/14/6

पत्र संख्या आई० बी०/मान्यता/6643-52 इलाहाबाद, दिनांक ११-६-१९६८।

विषय—आपका ~~हाई स्कूल~~/इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ~~नवीन~~/अतिरिक्त मान्यता का प्रार्थना पत्र।

महोदय,

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने, मान्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त, इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा ११ के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की १९६८ की ~~हाई स्कूल~~/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग / विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ ~~नवीन~~/अतिरिक्त मान्यता दिए जाने का आदेश प्रदान किया है:—

सामान्य प्रतिबन्ध

(१) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन ~~९वीं~~/११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभृत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(२) इस आदेश पत्र को प्राप्त करने की तिथि से दो माह के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~ से ~~९वीं~~/११वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(३) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(४) सज्जा की व्यवस्था निरीक्षक/निरीक्षिका के सन्तोषानुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

पृष्ठ पर अंकित

(क) उपर्युक्त विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों की नियुक्ति ११ वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व की जाय साथ ही अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र की जाय।

(ख) ३०×२० नाप के दो कमरे दिसंबर १९६९ तक निर्माण कर लिया जाय।

(ग) कक्षा संचालित करने से पूर्व १०,०००) रु० की सुरक्षित [illegible] वैज्ञानिक [illegible] सामग्री [illegible] क्रय कर ली जाय।

(घ) २०००) रु० पुस्तकों पर व्यय किया जाय।

(ङ०) २००) रु० मूल्य की वैज्ञानिक पुस्तकें क्रय की जाय।